फर्द अहकाम

लादूराम **बनाम** गजेन्द्र

ायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी प्रार्थना पत्र 57/2024

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.04.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसकी कॉपी प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता ने अपने प्रा0पत्र एवं जवाब प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखतें हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 148/2 रकबा 0.1012 है0, 148/3 रकबा 0.0506है0, 330/148 रकबा 0.1138 है0, 356/148 रकबा 0.0759 है0, 331/148 रकबा 0.0127 है0 स्थित ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का मीठावास भू0अ0नि0 बांसखोह तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 66/2024 उनवान लादूराम बनाम गजेन्द्र के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	